[illegible] / तहसीलदार कांधला 914

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी महोदय प्रशासनिक कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 5/1/21 को पेश हो। [illegible]	
5/1/21	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील उपस्थित आये। तहसीलदार कांधला को रिपोर्ट हेतु लिखा जाये। पत्रावली दिनांक 8/01/21 को पेश हो। [illegible]	
8/1/21	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील व तहसीलदार कांधला उपस्थित आये। तहसीलदार कांधला ने जवाब पेश किया। जवाब मिला है। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] विस्तृत [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible]	

न्यायालय श्रीमान उपजिला मजिस्ट्रेट महोदय,

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कामा जिला भरतपुर

व इजलाश श्री विनोद कुमार मीणा आर0ए0एस उपखण्ड अधिकारी कामां

मुकदमा नं0 9/19

गोपाल पुत्र रामसिंह जाति गडरिया निवासी नौनेरा तहसील कामां जिला भरतपुर

बनाम

तहसीलदार कामां

अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट

निर्णय

दिनांकः 8.01.2021

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट के तहत पेश किया कि प्रार्थी का नाम जन्म से गोपाल है और सभी दस्तावेजों में भी गोपाल पुत्र रामसिंह दर्ज है लेकिन हमारे पिता रामसिंह की मृत्यु के बाद करीब 8–10 वर्ष पूर्वे जब हल्का पटवारी ने हमारे पिता की विरासत का दाखिल खारिज किया तो ना जाने हल्का पटवारी ने किस से जानकारी प्राप्त कर मेरा नाम गोपाल की जगह बबली दर्ज कर दिया एवं जिसका दाखिल स्वीकार होकर अमल जमाबन्दी में भी हो गया है । और इस बात का इल्म जमाबन्दी लेने से हुआ । अगर प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में इसी प्रकार चलता रहा तो प्रार्थी को भारी समस्याओं का सामना करना पडेगा । और प्रार्थी के अधिकारों पर कुठाराघात पहुंचेगा । इसलिए राजस्व रिकार्ड में बबली के स्थान पर गोपाल किया जाना अतियत्न न्यायहित में आवश्यक है ।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी के नाम बबली के स्थान पर गोपाल संशोधित कराये जाने के आदेश फरमाये जावें ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया । गैर सायल को जरिये नोटिस तलब किया गया । गैरसायल तहसीलदार कामां ने रिपोर्ट पेश की कि प्रार्थी का नाम नामान्तकरण संख्या 2238 [illegible] रामसिंह की विरासत का है । प्रार्थी का नाम बबली ही दर्ज है और नामा0 केअनुसार राजस्व रिकार्ड में बबली दर्ज है प्रार्थी द्वारा जमाबन्दी का ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है जिसमें बबली के स्थान पर गोपाल नाम दर्ज हो । प्रार्थी का जरिये नामान्तकरण

Scanned with CamScanner

संख्या 2238 के अनुसार बबली है रिकार्ड में की भी गोपाल की जगह बबली की अशुद्धि नहीं की गई है । क्योंकि नामान्तकरण में तस्दीक हुए नामान्तकरण की शुद्धि के लिए नामान्तकरण की अपील किये जाने का प्रावधान है । प्रकरण धारा 136 भू0राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आता है । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज है

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा तहसीलदार कामां की रिपोर्ट का मनन किया । प्रार्थी का नाम नामान्तकरण संख्या 2238 के रामसिंह की विरासत का है । प्रार्थी का नाम बबली ही दर्ज है और नामा0 के अनुसार राजस्व रिकार्ड में बबली दर्ज है । जमाबन्दी में ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है जिससे बबली के स्थान पर गोपाल नाम दर्ज हो । रिकार्ड में कहीं भी गोपाल की जगह बबली की अशुद्धि नहीं की गई है । प्रार्थी का जरिये नामान्तकरण संख्या 2238 के अनुसार बबली है रिकार्ड में भी गोपाल की जगह बबली की अशुद्धि नहीं की गई है । क्योंकि नामान्तकरण की शुद्धि के लिए नामान्तकरण की अपील किये जाने का प्रावधान है । प्रकरण धारा 136 भू0राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आता है । जो लिपिकीय भूल नहीं है । प्रार्थाना पत्र खारिज किया जाना उचित समझते है ।

आदेश

अतः आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट का खारिज किया जाता है । प्रकरण नम्बर से कम किया जाकर बाद तकमील तामील दाखिल दफतर हो ।

निर्णय आज दिनांक 08.01.2021 को खुले न्यायालय पढकर सुनाया गया

(विनोद कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
कामां (भरतपुर)

Scanned with CamScanner